11829

7. आयुक्त, नगर निगम, कोटा।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), कोटा।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, कोटा संभाग।
13. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
16. CMAR निदेशालय, जयपुर।
17. SBM, PMU Consultant.
18. रक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

11830 (122)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Jodhpur/15/ 21856 दिनांक :– 05.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, जोधपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजिविका मिशन (NULM) चौदहवें वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारें में वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान संभागीय आयुक्त, जोधपुर आयुक्त नगर निगम जोधपुर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) जोधपुर, जोधपुर संभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे।

निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रूडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहें।

संभागीय आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग व रखरखाव के बारे में विस्तृत चर्चा की। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डवलपमेन्ट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

<u>खुले में शौच मुक्त :–</u> भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015–16 मे खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाया जावें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायों को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते है।

"खुले में शौच मुक्त राजस्थान" की प्रगति के बारे में प्रत्येक नगर निकाय द्वारा घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु राशि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जावें।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का चयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावें।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :– स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मों द्वारा तैयार की जा रही हैं। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर–घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, जोधपुर द्वारा आमंत्रित Waste to Energy Plant लगवाये जाने की निविदा को अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर–बैनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जावें।

बैठक में चर्चानुसार यह बताया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सोजत, जैतारण तखतगढ एवं सांचोर में जमीन उपलब्ध नही है। इस हेतु संभागीय आयुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निकायों को निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :– स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दौरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Tag Line (स्वच्छ भारत–स्वच्छ राजस्थान –स्वच्छ..... (नगर निकाय का नाम) को लगाने के निर्देश दिये गयें।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गयें। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

चौदवे वित्त आयोग :– चौदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेन्स ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफोर्म को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षो में बढते क्रम में होनी चाहिए। निकायो के लम्बित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

National Urban Livelyhood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायो को समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नही करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावे।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायो की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तो के अनुसार नगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नही हुआ है उनका MoU करवाये जानें की कार्यवाही की जावे।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यो की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फ्री नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ्री नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदो पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये है।

11833

जोधपुर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यो की प्रगति के बारे में बताया गया तथा जोधपुर शहर की सीवरेज के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। जोधपुर शहर के बचे हुये क्षेत्र हेतु सीवरेज की DPR बनाये जाने की आवश्यकता बताई गई। इस हेतु नगरं निगम, जोधपुर को निर्देश दिये गये। जोधपुर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यो को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का काम अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया

उप निदेशक (क्षेत्रीय) जोधपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Jodhpur/15/ 21357-91
दिनांक :– 05.08.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जोधपुर।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, जोधपुर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

D:\Chief Engg\Meeting Note\JODHPUR 14 07 2015.docx

11834 (24)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Jaipur/15/ 21846 दिनांक :– 05.08.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन (NULM) चौहवें वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान आयुक्त नगर निगम जयपुर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) जयपुर, जयपुर संभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे। निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रूडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो की धीमीगति को त्वरित गति से बढाये जाने एवं कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। सभी नगर निकायों को सर्वे के आधार पर 20 जुलाई, 2015 तक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि सभी लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निविदायें नही की है वे भी 20 जुलाई, 2015 तक निविदा प्रकाशित करवा देवें। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डवलपमेन्ट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

<u>खुले में शौच मुक्त :–</u> भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015–16 मे खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाया जावें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायों को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रो को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते है।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का चयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावें। समस्त निकायों को यह निर्देश दिये गये की शौचालयों के निर्माण हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुये 7 दिवस में आवश्यक रूप से पालना रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :– स्वच्छ भारत मिशन म दूसर महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मो द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर–घर कचरा संग्रहण एव कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। कचरे के परिसस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, जयपुर द्वारा आमंत्रित Waste to Energy Plant लगवाये जाने की निविदा को अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर–बैनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक केरी बैग जप्त करने की कार्यदाही की जावें।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जमीन उपलब्ध नही है, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :– स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दौरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व, Tag Line (स्वच्छ भारत–स्वच्छ राजस्थान –स्वच्छ..... (नगर निकाय का नाम) को लगाने के निर्देश दिये गयें।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गयें। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

चौंदवे वित्त आयोग :– चौंदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेन्स ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिर्फोम को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बठाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षो में बढते क्रम में होनी चाहिए। निकायो के लंम्बित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

National Urban Livelyhood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की क्रियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटको की क्रियान्विति हेतु नगर निकायो को समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध

11836 (12)

कराई गई राशि का उपयोग नही करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तों के अनुसार नगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नही हुआ है उनका MoU करवाये जाने की कार्यवाही की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यो की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फ्री नं. 1800:806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ्री नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण,भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये। नगरीय निकायों में म्यूनिसिपल लिमिट व मास्टर प्लान के तहत लैण्ड बैंक बनाये जाने से निकायो की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। Building प्लान स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये इससे भी निकायों को राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदो पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये है।

जयपुर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यो की प्रगति के बारे में बताया गया तथा जयपुर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यो को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का कार्य अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया

उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक
दिनांक :- 05-08-2

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Jaipur/15/21247-306
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

11837

6. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
7. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, जयपुर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता विश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

11838 (126)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Ajmer/15/ 21196 दिनांक :– 05.08.2

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजिविका मिशन (NULM) चौदहवे वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान संभागीय आयुक्त, अजमेर, आयुक्त नगर निगम अजमेर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) अजमेर, अजमेर संभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहे।

निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रूडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहें।

संभागीय आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा, खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग व रखरखाव के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होने व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता के प्रति आमजन को प्रेरित करने पर बल दिया। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डवलपमेन्ट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

<u>खुले में शौच मुक्त :–</u> भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015–16 मे खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाया जावें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय ने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायो को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते है।

"खुले में शौच मुक्त राजस्थान" की प्रगति के बारे में प्रत्येक नगर निकाय द्वारा घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु राशि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जावें।

11834

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का चयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप 5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावें।

<u>ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन :–</u> स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चांधिकार प्राप्त कमेटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मो द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर–घर कचरा संग्रहण एवं कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

नगर निगम, अजमेर द्वारा Processing Plant लगवाये जाने की निविदा जारी की जा चुकी है। जिसको नगर निगम स्तर पर प्राप्त कर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जानी है। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर–बैनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक कैरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जावे।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>Information Education & Communication (IEC) :–</u> स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।
मल–मुख संचरण के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करते हुये इसके रोकथाम हेतु शौचालय निर्माण एवं उपयोग की उपादेयता सम्बन्धि प्रस्तुततिकरण दिया गया।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दौरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें।

<u>Capacity Building :-</u> स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Tag Line (स्वच्छ भारत–स्वच्छ राजस्थान –स्वच्छ.................... (नगर निकाय का नाम) को लगाने के निर्देश दिये गयें।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गयें। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11840 (12

<u>चौंदवे वित्त आयोग :–</u> चौंदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौंदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफ़ोर्मेन्स ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफॉम को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बढाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षो में बढते क्रम में होनी चाहिए। निकायो के लम्वित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>National Urban Livelyhood Mission (NULM) :-</u> NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायो को समयवद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयवद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवायें जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नही करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

<u>ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :-</u> ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विघुत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायों की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को MoU ,की शर्तो के अनुसार नगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नही हुआ है उनका MoU करवाये जानें की कार्यवाही की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यो की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टॉल फ्री नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ्री नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्वित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार किये जाने के निर्देश दिये गयें। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदो पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये है।

1/1841

अजमेर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यो की प्रगति के बारे में बताया गया तथा अजमेर शहर की सीवरेज के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अजमेर शहर के बचे हुये क्षेत्र हेतु सीवरेज की DPR बनाये जाने की आवश्यकता बताई गई। इस हेतु नगर निगम, अजमेर को निर्देश दिये गये। अजमेर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यो को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का काम अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होने अजमेर, टोंक एवं नागौर के निकायों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छ भारत मिशन सम्बन्धि गतिविधियों को गम्भीरता से लेते हुये कार्य को गति देवें।

उप निदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Ajmer/15/ 21197 – 245 दिनांक :– 05.08.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, अजमेर।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, अजमेर।
7. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), अजमेर।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

11842

(12)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. बीकानेर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, बीकानेर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsgraj.org

स्वच्छ भारत– स्वच्छ राजस्थान
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Bikaner/15/ 21307 दिनांक :– 05.08.20

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2015 को प्रातः 11:30 बजे जिला कलेक्टर, बीकानेर के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यरूप से स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कियान्विति राष्ट्रीय शहरी अजिविका मिशन (NULM) चौहवें वित्त आयोग (14th FC) राजस्थान संपर्क पोर्टल, ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता वाली स्ट्रीट लाईट (LED), लेण्ड बैंक, भारत सरकार की योजना AMRUT/HFA/SMART CITY/UIDSSMT एवं RUIDP द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यों के बारे में वर्तमान स्थिति एवं प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान आयुक्त नगर निगम बीकानेर, उप निदेशक (स्थानीय निकाय) बीकानेर, बीकानेर संभाग की निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उपस्थित रहें। निदेशालय स्थानीय निकाय, आरयूआईडीपी व रूडिफको से उक्त योजनाओं से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे तथा CMAR एवं PMU Consultant भी बैठक में उपस्थित रहें।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छ भारत मिशन में प्रमुख घटक यथा खुले में शौच मुक्त की दिशा में घरेलू शौचालयों का निर्माण , सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो की धीमीगति को त्वरित गति से बढाये जाने एव कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। सभी नगर निकायों को सर्वे के आधार पर 20 जुलाई, 2015 तक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि सभी लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों ने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु निविदायें नही की है वे भी 20 जुलाई, 2015 तक निविदा प्रकाशित करवा देवे। सभी नगर निकाय आगामी 20 वर्ष के लिये सिटी डवलपमेन्ट प्लान (CDP) बनाये जावे एवं 5 वर्ष के लिये एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गये।

<u>खुले में शौच मुक्त :–</u> भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय विहिन घरों में शौचालयों का निर्माण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किये जाने तथा निकायवार प्रगति रिपोर्ट ली जाकर समीक्षा की गई, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन निकायों में 1100 या 1100 से कम शौचालयों का निर्माण किया जाना है, उन निकायों को वर्ष 2015–16 मे खुले मे शौच मुक्त निकाय बनाया जावें। शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर सभी निकाय प्रमुखों को इसकी गति बढाने एवं राजस्थान निकाय को खुले में शौचमुक्त बनाये जाने हेतु त्वरित गति से प्रयास एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। यदि घरों में जगह की कमी है तो सामुदायिक शौचालय निर्माण करवाया जावें। जो जहॉ पर निवासरत है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र है तब उनके घरों में नियमानुसार शौचालय निर्माण शीघ्र करवाया जावे। प्रत्येक वार्ड में स्वच्छतादूत को नियुक्त कर स्वच्छ भारत मिशन की कियान्विति के भी निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगरीय निकाय में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये जाने वाले घरेलू शौचालयों के आवेदन पत्रों को Online Uploading हेतु भारत सरकार द्वारा Citizen Service Center (CSC) के मध्य MoU किया गया है। जिसके बारे में निकायो को पृथक से निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र के घरेलू शौचालयों के निर्माण के प्रार्थना पत्रों को स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाईट पर Online Uploading CSC के माध्यम से करवा सकते है। यदि Online Uploading मे फिर भी कठिनाई आती है तो मेनुयल सेंक्शन जारी कर सकते है।

सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का चयन कर निविदा आमंत्रित कर शौचालयों का निर्माण किया जावे। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों के अनुरूप,5 वर्ष के रखरखाव संचालन का अनुबन्ध भी साथ ही किया जावें। समस्त निकायों को यह निर्देश दिये गये की शौचालयों के निर्माण हेतु तुरन्त कार्यवाही करते हुये 7 दिवस में आवश्यक रूप से

पालना रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिये गये। जिन निकायों द्वारा ओ.डी.एफ की प्रगति वर्ष 2016 तक क ली जावेगी, उनको माननीय मुख्यमंत्री, महोदया द्वारा पुरस्कृत किये जाने हेतु नाम भेजे जावेगें।

ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन :– स्वच्छ भारत मिशन में दूसरे महत्वपूर्ण घटक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) 31 अगस्त, 2015 तक तैयार करवानी है। उक्त डीपीआर में सिटी सेनिटेशन प्लान (CSP) का समावेश करते हुये डीपीआर को स्वीकृति हेतु राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी (HPC) में भिजवाने के निर्देश दिये गये। जिन शहरों की डीपीआर सलाहकार फर्मो द्वारा तैयार की जा रही है। उनसे अतिशीघ्र तैयार करवाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जावें। घर–घर कचरा संग्रहण एव कचरे के परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। कचरे के परिसंस्करण हेतु प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदायें आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

निकायो द्वारा कुछ वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य सूचारू रूप से किया जा रहा है जिसे सभी वार्डों में लागू किया जावें।

नगर निगम, बीकानेर द्वारा Processing Plant लगवाये जाने की निविदा जारी की जा चुकी है। जिसको नगर निगम स्तर पर प्राप्त कर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जानी है। साथ ही Cleanliness Drive चलाने के निर्देश दिये गये जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था एवं अनाधिकृत पोस्टर–बैनर को हटाने तथा प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम हेतु प्रभावी कदम एवं प्लास्टिक केरी बैग जब्त करने की कार्यवाही की जावें।

जिन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जमीन उपलब्ध नही है, उनको सम्बन्धित जिला कलेक्टर को लिखे जाने एवं भूमि आवंटन के प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Information Education & Communication (IEC) :– स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक IEC हेतु Social Media जैसे Facebook और Whatsapp का प्रयोग कर IEC के अन्तर्गत हुई गतिविधियों की फोटो डालकर संक्षिप्त विवरण के साथ प्रचारित करने के निर्देश दिये।

सामुदायिक जागरूकता एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है, जो कि शौचालय निर्माण से पूर्व निर्माण के दौरान एवं निर्मित शौचालय के उपयोग में एक महत्वपूर्ण Role Play करती है अतः पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि इस घटक के अन्तर्गत राशि व्यय कर गतिविधिया सम्पन्न कराई जावें। मल–मुख संचरण के विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करते हुये इसके रोकथाम हेतु शौचालय निर्माण एवं उपयोग की उपादेयता सम्बन्धि पॉवर पॉईट प्रस्तुततिकरण दिया गया।

Capacity Building :- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत क्षमता संवर्धन (Capacity Building) हेतु निकाय के सभी पार्षद, MLA, Mayor, Chairman को साथ लेकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

स्वच्छ भारत मिशन – घर–घर कचरा संग्रहण हेतु निकाय स्तर पर निविदाये निकालकर कार्य करवाया जावें। इस कार्य में NGO/BLOs/RWAs को सम्मिलित करते हुये घर–घर कचरा संग्रहण करवाकर उसका परिवहन सुनिश्चित किया जावें। इस कार्य में राज्य सरकार की सूची द्वारा प्रतिपादित मान्य ढके हुये वाहनो का उपयोग किया जावें जनरल Cleanliness हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी कार्यवाही की जावें।

सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता बढाये जाने क्रम में निकाय के कचरा परिवहन वाहनों, कचरा पात्रों इत्यादि पर स्वच्छ भारत मिशन का logo व Tag Line (स्वच्छ भारत--स्वच्छ राजस्थान --स्वच्छ..... (नगर निकाय को नाम) को लगाने के निर्देश दिये गयें।

स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाये जाने हेतु आमजन में जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार (IEC) गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुरूप किये जाने के निर्देश दिये गयें। शिक्षा विभाग को सम्मिलित कर शिक्षण संस्थाओं में निबन्ध व Quiz प्रतियोगिता सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है। IEC की मार्गदर्शिका एवं अन्य दस्तावेज CMAR की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

चौदवे वित्त आयोग :– चौदवे वित्त आयोग के बारे में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा चौदहवें वित्त आयोग व अन्य बिन्दुओ पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। चौदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बेसिक ग्रान्ट एवं परफोर्मेन्स ग्रान्ट के लिए आवश्यक रिफॉम को लागू करने के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर निकायों की स्वयं भी आय को बठाने हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया गया। स्वयं की आय प्रत्येक आगामी वर्षो में बढते क्रम में होनी चाहिए। निकायो के लम्बित ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही कि जावें। निकायों को पूर्व में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमात्र पत्र अतिशीघ्र दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिन निकायो के पास अनुदान की राशि उपलब्ध है और व्यय नही किया गया है उसे सीवरेज आदि योजनाओं में प्रयोग किया जा सकता है।

National Urban Livelyhood Mission (NULM) :- NULM के घटकों की कियान्विति हेतु परियोजना निदेशक द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। NULM के घटकों की कियान्विति हेतु नगर निकायो को समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु RSLDC के जिला कार्यालय से संपर्क कर कार्य को त्वरित गति से करवाये जाने के निर्देश दिये गये। निकायों को पूर्व में SJSRY अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग नही करने वाली निकायों को इस राशि को NULM योजना में आरम्भिक शेष (Opening Balance) मानते हुए इसका उपयोग किया जावें।

ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) :- ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा दक्षता आधारित स्ट्रीट लाईट (LED) प्रोजेक्ट के बारे में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एनर्जी इफिसियेन्ट सर्विसेज लि. (EESL) Ministry of Power की PSU कम्पनी से MoU किया गया है, वर्ष 2017 तक राज्य की समस्त निकायो की स्ट्रीट लाईट LED लाईट लगवाई जावेगी। इस हेतु कम्पनी द्वारा कार्य चालू कर दिया गया है। बैठक में निर्देश दियें गये कि उक्त कार्य को MoU की शर्तो के अनुसार नगर निकायों में एलईडी लाईट लगाने की कार्यवाही की जावे एवं जिन निकायों के MoU नही हुआ है उनका MoU करवाये जानें की कार्यवाही की जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा यह बताया गया, कि सम्पर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों को नियमित रूप से चैक कर प्रकरणो का निस्तारण किया जावें। नगर निकायों से सम्बन्धित कार्यो की आमजन की शिकायतों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है। टोल फ्री नं. 18001806127 पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेगी। टोल फ्री नम्बर का सभी ULBs के स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जावें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव द्वारा विधान सभा प्रश्नों को समय पर निस्तारण, भूमि शाखा में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण निमयानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रोपटी रजिस्टर का संधारण करते हुये Land bank बनाये जाने के निर्देश दिये गये। नगरीय निकायों में म्यूनिसिपल लिमिट व मास्टर प्लान के तहत लैण्ड बैंक बनाये जाने से निकायो की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। Building प्लान स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये इससे भी निकायों को राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

बैठक में चर्चा के दौरान यह बताया गया कि नगर निकायों में स्टॉफ की कमी है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये, कि जिला कलक्टर से स्टाफ हेतु अतिरिक्त चार्ज दिये जाने एवं सेवानिवृत कार्मिकों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृत पद से आधे पदो पर कार्य पर रखा जा सकता है।

भारत सरकार की नवीन योजनाओं के बारे में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, RUIFDCO द्वारा विस्तार से बताया गया तथा योजनाओं हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिपोर्ट इत्यादि तैयार किये जाने हेतु नगर निकायों को निर्देश दिये गये है।

बीकानेर संभाग में RUIDP द्वारा करवाये जा रहे कार्यो की प्रगति के बारे में बताया गया तथा बीकानेर संभाग में चल रहे सीवरेज के कार्यो को पूर्ण करवाते हुये घरों से निकलने वाले सीवरेज को सीवर लाईन से जोड़ने का कार्य अतिशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

11845

बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निगम, बीकानेर व नगर विकास न्यास, बीकानेर अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाये जाने सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की क्रियान्विति एवं अन्य योजनाओं की क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया

उप निदेशक (क्षेत्रीय) बीकानेर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक :- एफ 55( )Engg./CE/DLB/SBM/Bikaner/15/ 21308-55 दिनांक :- 05.08.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
4. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक, रूफडिको, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
7. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
8. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
10. परियोजना निदेशक, निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रूफडिको।
12. उप निदेशक (क्षेत्रीय), बीकानेर।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, बीकानेर संभाग।
14. संयुक्त निदेशक (प्लान), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
15. अधीक्षण अभियन्ता, (विद्युत), नगर निगम, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय, जयपुर।
17. CMAR निदेशालय, जयपुर।
18. SBM, PMU Consultant.
19. रक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक